कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

–// आदेश //– (संशोधित)

क्रमांक–~~क्यू~~ 161/एक–9–3/2001(S.W.) **जबलपुर दिनांक–** ~~28/12/2023~~ 3-1-2024

मैं, **आलोक अवस्थी, सेशन न्यायाधीश, जबलपुर** पूर्व में इस संबंध में पारित समस्त आदेश निरस्त करते हुये धारा–10 दंड प्रक्रिया संहिता (अधिनियम–दो–1974) की उपधारा (03) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा यह आदेश पारित करता हूँ, कि मेरे किसी भी तरह के अवकाश या दौरे पर रहने के फलस्वरूप अथवा अन्य किसी कारणों पर मेरी अनुपस्थिति की दशा में जबलपुर सेशन संभाग (खण्ड) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कालम नं0–(01) में उल्लेखित "दिवस" को **जमानत एवं अन्य आवश्यक आवेदन पत्रों** की सुनवाई तथा कार्य (विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी., एन.डी. पी.एस., लोकायुक्त, सी.बी.आई. व्यापम, पोस्को, विद्युत न्यायालय, रेप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप के न्यायालय का कार्य छोड़कर) कॉलम नं0 02 में वर्णित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा। कॉलम नं0 (02) में उल्लेखित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में कॉलम नं0 (03) में उल्लेखित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा कालम नं0 (03) के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में कालम नं0 (04) में उल्लेखित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रमानुसार उपलब्धता के आधार पर जमानत आवेदन एवं अन्य आवश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे।

यह भी आदेशित किया जाता है कि जिस दिन जो जमानत आवेदन पत्र जिस अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के समक्ष दर्शित सूची के अनुसार निराकरण हेतु रखे जावेगें, वे उक्त न्यायाधीश द्वारा ही निराकृत किये जावेंगे। उन आवेदन पत्रों को मेरे न्यायालय में वापिस नही लौटाया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ''सेशन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो नए जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत किए जावेंगे, उनमें पुलिस केस डायरी मंगवाने जैसे नियमित आदेश, कॉलम नं0 (02) (03) एवं (04) में वर्णित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पारित कर सकेंगे, परन्तु कॉलम नं0 (02) (03) एवं (04) में वर्णित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदनपत्र उसी दिन अंतरित माना जावेगा जब या तो जमानत आवेदनपत्र के संबंध में गुण–दोष के आधार पर कोई आदेश दिया जा रहा हो अथवा पुलिस केस डायरी प्राप्त हो चुकी हो।

दोबारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र एवं उसी अपराध से संबंधित अन्य अभियुक्तों के जमानत आवेदन पत्र भी उसी न्यायालय के समक्ष निराकरण हेतु रखे जावेंगे, जिस अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश द्वारा पूर्व में उनका निराकरण किया गया है।

एस.सी./एस.टी. तथा एन.डी.पी.एस. के विशेष न्यायालयों के प्रकरणों से संबंधित जमानत आवेदनपत्र व अन्य आवश्यक कार्य संबंधित विशेष न्यायाधीश द्वारा एवं

उनके अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के क्रमशः आदेश क्रमांक 1414/गोप/96/दो–2–21/63, (भाग–दो), दिनांक 03.09.96 तथा ज्ञापन क्रमांक बी/2087/तीन–6–3/89, दिनांक 28.04.97 के अनुसार निराकृत होंगे ।

उपरोक्त दोनों स्थितियों में मेरी अनुपस्थिति के दौरान जो भी जमानत आवेदन पत्र जिस अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के समक्ष रखे जावेंगे, उन्हें उस न्यायालय में अंतरित समझा जावेगा। यदि किसी दिन यह स्थिति निर्मित होती है, कि कॉलम नं0 (02) (03) एवं (04) में वर्णित अधिकृत सभी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित हों, तो उस दशा में जबलपुर मुख्यालय में जो भी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उपलब्ध हो, उनमें सबसे वरिष्ठ को उपरोक्त वर्णित आवेदनपत्रों के निराकरण हेतु अधिकृत किया जाता है। यदि जबलपुर मुख्यालय में कोई भी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उस दशा में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जबलपुर को इन आवेदनपत्रों के निराकरण हेतु अधिकृत किया जाता है।

मेरी अनुपस्थिति में विशेष न्यायालयों जैसे लोकायुक्त, सी.बी.आई. व्यापम, पोस्को, एन.डी.पी.एस, एस.सी.एस.टी., विद्युत न्यायालय, रेप गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं इनसे संबंधित अपराधों से उदभूत होने वाले जमानत आवेदन पत्र उन्हीं विशेष न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जो स्वतः अंतरित समझे जावेंगे।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिनमें केस डायरी आने के पश्चात् स्पष्ट होता है कि संबंधित जमानत विशेष न्यायालयों से संबंधित है तब ऐसे जमानत आवेदन पत्र संबंधित विशेष न्यायालय को अंतरित मानते हुये संबंधित विशेष न्यायालय द्वारा ही निराकृत किया जावेगा। उपरोक्त **आदेश तत्काल प्रभावशील** होगा।

–: सारणी :–

दिवस	**अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश का पदनाम, जो सेशन न्याया की अनुपस्थिति में अधिकृत रहेंगे।**	**अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश का पदनाम जो कालम नं0 (02) में दर्शित न्यायालय के अनुपस्थिति की दशा में अधिकृत रहेंगे।**	**अति0 सेशन न्यायाधीश के पदनाम, जो सेशन न्यायाधीश एवं कॉलम नं0 (03) में अधिकृत अति0सेशन न्यायाधीश के अनुपस्थिति की दशा में कमानुसार उपलब्धता के आधार पर अधिकृत रहेंगे।**	
(01)	**(02)**	**(03)**	**(04)**	
सोमवार	विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.	सोलहवें अपर सेशन न्यायाधीश	1	पंचम अपर सेशन न्यायाधीश
			2	अठ्ठाईसवें अपर सेशन न्यायाधीश
			3	बाईसवें अपर सेशन न्यायाधीश
			4	तेईसवें अपर सेशन न्यायाधीश

मंगलवार	छब्बीसवां अपर सेशन न्यायाधीश	पन्द्रहवें अपर सेशन न्यायाधीश	1 2 3 4	दशम अपर सेशन न्यायाधीश छब्बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश पच्चीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
बुधवार	विशेष न्यायाधीश विद्युत अधि. कक्ष क्र. 08	सप्तम अपर सेशन न्यायाधीश	1 2 3 4	उन्नीसवें अपर सेशन न्यायाधीश सत्ताईसवें अपर सेशन न्यायाधीश अष्टम अपर सेशन न्यायाधीश चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
गुरूवार	सत्रहवें अपर सेशन न्यायाधीश	दशम अपर सेशन न्यायाधीश	1 2 3 4	नवम अपर सेशन न्यायाधीश चौदहवें अपर सेशन न्यायाधीश पंचम अपर सेशन न्यायाधीश पन्द्रहवें अपर सेशन न्यायाधीश
शुक्रवार	तेरहवें अपर सेशन न्यायाधीश	उन्नीसवें अपर सेशन न्यायाधीश	1 2 3 4	अठ्ठाईसवें अपर सेशन न्यायाधीश छब्बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश अष्टम अपर सेशन न्यायाधीश चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
शनिवार	द्वादश अपर सेशन न्यायाधीश	बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश	1 2 3 4	दशम अपर सेशन न्यायाधीश सोलहवें अपर सेशन न्यायाधीश चौदहवें अपर सेशन न्यायाधीश उन्नीसवें अपर सेशन न्यायाधीश

3-1-2024

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठां क्र0–क्यू/एक–9–3/2001(S.W.) जबलपुर दिनांक– 03-01-2024

<u>प्रतिलिपि आदेशानुसार :–</u>

01. ...., जबलपुर

02. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर